पत्रांक : 1285/0245–एफ/एस0एम0सी0जी0–यू0पी0/24 दिनांक 21.10.2019.

उत्तर प्रदेश राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य स्वच्छ गंगा मिशन– उत्तर प्रदेश की मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2019 को सम्पन्न पंचम बैठक का कार्यवृत्त ।

उत्तर प्रदेश राज्य गंगा समिति एवं राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 के शासी परिषद की पंचम बैठक दिनांक 30.09.2019 को अध्यक्ष राज्य गंगा समिति/शासी परिषद, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। प्रतिभागी सदस्यो व उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद नाम विभाग
1	श्री मनोज कुमार सिंह	प्रमुख सचिव, नगर विकास/परियोजना निदेशक, एस0एम0सी0जी0–यू0पी0
2	श्री अशोक कुमार,	ई0डी0 (परियोजना), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली
3	श्री विकास गोठवाल	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
4	श्री नीरज श्रीवास्तव	सदस्य, राज्य गंगा समिति
5	श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय	उपाध्यक्ष, उन्नाव विकास प्राधिकरण, उन्नाव
6	श्री रजत गुप्ता	सी0 सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट विशेषज्ञ, एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली
7	डा0 आर0सी0 वैश्य	सदस्य राज्य गंगा समिति (प्रो0 एवं हेड डिपार्टमेण्ट आफ सीविल ई0 एम0एन0आई0टी0, प्रयागराज)
8	श्री राहुल पाण्डेय	उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण
9	श्री टी0के0 शिबु	उपाध्यक्ष, प्र0वि0प्रा0
10	डा0 हरिश्चन्द्र	विशेष कार्याधिकारी
11	श्री सोवरन सिंह	विशेष सचिव पी0आर0
12	डा0 सारिका मोहन	विशेष सचिव सिंचाई
13	श्री प्रदीप कुमार	विशेष सचिव एम0एस0एम0ए0
14	श्री पवन कुमार	प्रमुख मुख्य वन संरक्षक
15	श्री आशीष तिवारी	सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
16	श्री टी0यू0 खान	विशेष कार्याधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
17	श्री पवन कुमार	विशेष सचिव आवास
18	डा0 गोविन्द जी शुक्ला	निदेशक वित्त, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0
19	श्री गोपाल सिंह	मुख्य अभियन्ता आई0डी0यू0पी0
20	श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा	मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई विभाग मेरठ
21	श्री बिभाष रंजन	मुख्य वन संरक्षक, परियोजना
22	श्री के0पी0 दूबे	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
23	श्री अरविन्द गुप्ता	मुख्य वन संरक्षक
24	श्री अजेय रस्तोगी	मुख्य अभियन्ता (गंगा) उ0प्र0 जल निगम
25	श्री आर0के0 चौधरी	मुख्य अभियन्ता, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0
26	श्री दीपक यादव	अधिशासी अभियन्ता
27	श्री नीरज कुमार	सी0एफ0 इन्वायरनमेन्ट प्रोजेक्ट

Scanned with OKEN Scanner

28	श्री एन0के0 आदर्श	अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0एस0आई0डी0ए0 लखनऊ
29	श्री पी0के0 सरकार	यूनिट हेड पी0के0 सरकार, एस0एम0सी0जी0
30	डा0 सीताराम टैगोर	पर्यावरण विशेषज्ञ, एस0एम0सी0जी0–यू0पी0
31	श्री आर0 बी0 सिंह	वरिष्ठ प्रोक्योरमेण्ट, स्पेशलिस्ट एस0एम0सी0जी0–यू0पी0
32	श्री रामलगन	तकनीकी प्रबन्धक, एस0एम0सी0जी0–यू0पी0
33	श्री सत्यप्रकाश श्रीवास्तव	आई0टी0 आफिसर, एस0एम0सी0जी0–यू0पी0
34	श्री अविरल सक्सेना	सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट स्पेशलिस्ट, एस0एम0सी0जी0–यू0पी0

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ करते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास/परियोजना निदेशक राज्य स्वच्छ गगा मिशन द्वारा एजेन्डावार समिति के समक्ष विवरण प्रस्तुत किया गया, विवरण निम्नवत है :–

एजेण्डा बिन्दु सं0–5.1

उ0 प्र0 राज्य गंगा समिति की तृतीय बैठक दिनांक 31.12.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

समिति द्वारा राज्य गंगा समिति की तृतीय बैठक दिनांक 31.12.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–5.2

मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग परिषद की दिनांक 31.12.2018 को हुई तृतीय बैठक की अनुपालन आख्या:–

एजेण्डा	बैठक की कार्यवृत्त	समिति का निर्देश
3.3- I.	मा0 मंत्री एवं कैबिनेट सचिव, जल संसाधन नदी विकास व गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में आयोजित विभिन्न बैठकों व उसमें उठाये गये बिन्दुओं के विवरण का प्रस्तुतिकरण। 1. एस.टी.पी. का संचालन न होना, अण्डर कैपिसिटी संचालित होना	एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी तथा इस सम्बन्ध में

Scanned with OKEN Scanner

	व पैरामीटर मीट न करना।	जानकारी चाही गई कि सीवेज जल शोधन संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता तथा उन पर पहुँच रहे सीवेज जल की मात्रा में काफी अंतर है। सीवेज जल एस0टी0पी0 की क्षमता के अनुसार न पहुँचने के कारणों की जाँच कर एक्सन प्लान बनाकर तदनुसार कार्यवाही की जाय ताकि एस0टी0पी0 पर उसकी डिजाइन के अनुसार सीवेज जल पहुँच सके ।
	2. सीवरेज नेटवर्क व हाउस सीवरेज कनेक्सन से प्रत्येक शहर को आच्छादित कराना।	अनुपालन आख्या के अनुसार प्रदेश में सीवरेज योजना से आच्छादित भवनों, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत सीवेज हाउस कनेक्सनों तथा उपभोक्ताओं के घरों में अधिष्ठापित कनेक्सनों से अवगत होते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष भवनों जिनके लिये हाउस सीवेज कनेक्सन स्वीकृत है, उन्हें शीघ्र पूरा करने का कार्य कराया जाय।
	3—गंगा किनारे के शहरों हेतु सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु प्लान तैयार कराकर पूर्ण कराया जाना।	गंगा के किनारे स्थित शहरों के लिए सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट प्लान से सम्बन्धित कराये जा रहे कार्यो से अवगत होते हुए निर्देशित किया गया कि— (i) उपभोक्ताओं के घरों से ही कूड़े का सेग्रीगेशन तथा उसका निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। (ii) जहाँ कूड़े के ढ़ेर एकत्रित हो उन्हें हटवाया जाय तथा लैण्ड स्कैपिंग करवाया जाय। (iii)जिन शहरों में लैण्ड स्कैपिंग, सेग्रीगेशन व कूड़े का निस्तारण अच्छा हो रहा हो उन स्थलों का फोटोग्राफ व विडियो दिखाया जाना चाहिए। (iv)गंगा के किनारे स्थित वॉर्डो में प्राथमिकता के आधार पर सालिड वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था की जाय।
	4—गंगा में मिलने वाले नालों में स्क्रीन लगाया जाना।	अनुपालन आख्या से अवगत होते हुए निर्देशित किया गया कि जिन नालों पर स्क्रीन लगाये जाये, उन स्क्रीन पर लगातार सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
	5—जिला गंगा समितियों को सकिय	अनुपालन आख्या का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

	किया जाना। 6–प्रदूषण करने वाली इकाईयों के प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही।	उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अलग से प्रस्तुतिकरण किया गया।
3.3- II.	गंगा की स्वच्छता एवं अविरलता के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रस्तुतिकरण	उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा वन विभाग द्वारा अलग से प्रस्तुतिकरण किया गया।
3.4.	मा0 मुख्यमंत्री एवं मा0 मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त बैठक में लिये गए निर्णण " कुम्भ मेले की अवधि के दौरान बिजनौर से बलिया तक किसी भी नाले का जल बिना शोधन नदी में न मिलने दिया जाये" के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही समिति द्वारा संज्ञान लिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।	कुम्भ मेले के दौरान गंगा नदी व सहायक नदी में गिरने वाले नालों के जल के शोधन के लिए करायी गई व्यवस्था का संज्ञान समिति द्वारा लिया गया तथा की गई व्यवस्था की प्रशंसा भी की गई
3.5	गंगा संरक्षण कार्यों में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 के साथ सहयोग के प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	अनुपालन आख्या का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
3.6	गंगा संरक्षण सम्बंधी कार्यो में राज्य गंगा मिशन–उ0प्र0 के साथ सहयोग से जी0आई0जेड (GIZ) के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	अनुपालन आख्या का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
3.7	राज्य गंगा समिति की बैठकों में	अनुपालन आख्या का समिति द्वारा संज्ञान लिया

Scanned with OKEN Scanner

	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के सदस्य को विशेष आमंत्री के रूप में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित करना।	गया।
3.8	गंगा संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न विभाग में जिला गंगा समिति/स्थानीय नगर निकाय व ग्राम पंचायतों के कार्यों के आंकलन व प्रोत्साहन हेतु स्वच्छ गंगा सर्वे कराये जाने का प्रस्ताव।	अनुपालन आख्या का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
3.9	राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 की कार्यालयीय संरचना का विवरण व कार्यालय संचालन सम्बंधी प्रस्ताव।	अनुपालन आख्या का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
3.10	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श।	————————————

<u>एजेण्डा बिन्दु सं0–5.3</u>

उ0प्र0 राज्य गंगा समिति की चतुर्थ (विशेष) बैठक दिनांक 20.02.2019 में लिए गए निर्णय की अनुपालन आख्या ।

राज्य गंगा समिति की चतुर्थ बैठक एक विशेष एजेन्डा दिनांक 26 व 27 फरवरी 2019को प्रयागराज मे आयोजित किये जाने वाले गंगा सम्मेलन मे व्यवस्थाओ के संबंध मे विचार एवं निर्णय हेतु आहूत की गयी थी।समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार गंगा सम्मेलन मे व्यवस्थाए सुनिश्चत करायी गयी, जिसका संज्ञान समिति द्वारा लिया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–संख्या–5.4</u>

नमामि गंगे/एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा की स्वच्छता एवं अविरलता के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतिकरण।

Scanned with OKEN Scanner

1. <u>प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड</u>

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं तथा उनके लिए अवमुक्त व उपभुक्त धनराशि का विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया गया:–

(धनराशि रू0 लाख में)

Sl No.	Components of Project	Sanction Cost	Released Amount	Utilized Amount
1	Instrument (Capital Cost)	1182.95	1182.00	0.00
2	Laboratory Development Cost	32.00	32.00	0.00
3	Chemical & Glassware	288.00	144.00	0.00
4	Staff	1624.00	323.00	202.89
5	Laboratory Operational Cost	480.00	100.00	4.20
	Total	3607.75	1781.00	207.09

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 05 योजनाएं रू0 3607.75 लाख की स्वीकृत हुई है, जिसके विरूद्ध 1781.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुयी है और बोर्ड द्वारा कुल रू0 207.09 की धनराशि व्यय की गई है। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी चाही गई कि धनराशि व्यय न होने का क्या कारण है।बोर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि instruments मद में स्वीकृत धनराशि रू0 1182.95 लाख में से रू0 829.00 लाख के instruments एन0एम0सी0जी0 द्वारा तथा रू0 353.95 लाख के instruments बोर्ड द्वारा क्रय किया जाना है, बोर्ड द्वारा दिनांक 05.10.2018 को निविदा आमंत्रित की गई परन्तु निर्धारित मात्रा में निविदा प्राप्त न होने के कारण निविदा फाईनल नहीं की जा सकी। क्रय किये जाने वाले instruments के स्पेशिफिकेशन बदलने की अनुमति प्राप्त कर पुनः निविदा मांगने की कार्यवाही की जा रही है। यद्यपि केमिकल क्रय करने हेतु निविदा मांगी गई है, परन्तु इस मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोग instruments क्रय करने के उपरान्त हो सकेगा।

अधिक समय से अवमुक्त धनराशि का व्यय न हो पाने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

2. <u>वन विभाग</u>

वन विभाग द्वारा_राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं से सम्बन्धित। (Forestry Scheme/Medicinal plant project) का प्रस्तुतिकरण किया गया :–

(धनराशि रू0 लाख में)

Scanned with OKEN Scanner

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	क्लीन गंगा फण्ड (2018-19)	2186.00	1628.00	517.00
2	गंगा ग्राम वृक्षारोपण परियोजना (2019-20)	4000.00	638.00	353.00
3	औशधीय पौधों की खेती (2018-19), (2019-20)	3647.00	709.00	0.32

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि में काफी अंतर है, वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि कई स्थानों पर स्थल की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुऐ निर्देशित किया गया है कि जिन स्थलों पर कार्य कराया जाना सम्भव हो वहाँ पर नया प्रस्ताव प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त कर कार्य पूर्ण करायें।

3. नमामि गंगे/एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित/निर्माणाधीन योजनाओं का विवरण :-

<u>1-सीवर सम्बंधी योनजाएं:-</u>

रू 10259.48 करोड की सीवर संबंधी 45 योजनाएं संचालित/निर्माणाधीन है। उनमें से 12 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, 21 योजनाएं निर्माणाधीन है तथा 12 योजनाएं बिडिंग प्रक्रिया के अंतर्गत है। बिडिंग प्रक्रिया के अंतर्गत 12 योजनाओं में 10 योजनाएं हैम/पी0पी0पी0 मोड पर तथा 02 योजनाएं डी0बी0ओ0टी0 मोड पर है स्वीकृत है।

2-सी0ई0टी0पी0 एण्ड इंडस्टियल मैनेजमेंट-रू 567.87करोड की 2 परियोजनाएं।

3-कुम्भ मेला प्रयागराज 2019 मे कम्यूनिटी टायलेट एवं सालिड वेस्ट -रू 116.60 करोड की 2 परियोजनाएं।

4-रीवर सरफेस क्लीनिंग-रू 12.42 करोड की 1 परियोजना।

5-घाट एवं कीमीटोरिया 94.28-रू 425.11करोड की 12 परियोजनाए।

6-घाट की सफाई-रू 27.82 करोड की 2 परियोजनाए।

7-बायोरेमिडियेसन ऑफ ड्रेन-रू 264.50 करोड की 09 परियोजनाए।

8-गंगा टास्क फोर्स-रू 167.70 करोड की 1परियोजना।

9-जिला गंगा समिति-रू 1.25 करोड की 1परियोजना।

10-कम्यूनिकेशन एवं आउटरीच-रू 8.20 करोड की 1परियोजना।

उपरोक्त योजनाओं से सम्बन्धित विस्तृत प्रस्तुतिकरण समिति के समक्ष किया गया। प्रस्तुतिकरण के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देश दिया गया

Scanned with OKEN Scanner

(ii) मुरादाबाद की सीवरेज परियोजना वर्ष 2011 में स्वीकृत हुई थी, और इसमें कार्य पूर्ण करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ। अतः इसके शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करते हुये योजना को चालू कराया जाय।

(iii) रमना परियोजना में वित्तीय संकट है, जिसका समाधान शीघ्र कराने हेतु अधिशासी निदेशक परियोजना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को निर्देशित किया गया।

(iv) कानपुर की पनखा परियोजना के लिए उपलब्ध करायी गई जमीन ग्रीन बेल्ट में दर्ज है, जिसके उद्देश्य के परिवर्तन हेतु आवास विकास विभाग से शीघ्र कार्यवाही कराया जाय।

(v) जो योजनायें चालू हो चुकी और किसी कारणवश सीवेज वांछित मात्रा में एस0टी0पी0 पर नहीं पहुँच रहा है, कारणों को चिन्हित कर उन्हें शीघ्र दूर कराया जाय।

(vi) जिन योजनाओं के कार्यपूर्ण होने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है, उनमें सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।

(vii) योजनाओं के सम्बन्ध में अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का विवरण वर्षवार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

<u>एजेन्डा बिन्दु सं0–5.5</u>

मा0 मुख्य मंत्री उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देश कि गंगा एवं उसकी सहायक नदियो मे गिरने वाले नालो के जल को बिना शोधन के नदी में न मिलने देने हेतु आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार हेतु प्रस्ताव।

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में वर्ष 2019 में प्रयागराज में लगने वाले कुम्भ के दृष्टिगत बिजनौर से लेकर बलिया तक गंगा नदी में मिलने वाले 133 नालों तथा प्रयागराज में यमुना नदी में मिलने वाले 22 नालों के जल का उपचार बायोरेमिडिएशन/मॉडुलर विधि से दिनांक 15.12.2018 से 15.06.2019 तक कराया गया। कराये गये उपचार के फल स्वरूप नदी में जल की गुणवत्ता काफी अच्छी बनी रहीं, जिसकी सराहना मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों तथा मीडिया के माध्यम से की गई। इसी सफलता के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न बैठकों के माध्यम से निर्देश दिया गया कि :–

" प्रदेश के अंतर्गत स्थित गंगा एवं उसकी समस्त सहायक नदियों में गिरने वाले नालों की जब तक उनके जल की समुचित टैपिंग एवं उपचार की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक उनके जल का उपचार बायोरेमिडिएशन/मॉडुलर अथवा अन्य उचित तकनीक से कराये जाना सुनिश्चित किया जाये।"

Scanned with OKEN Scanner

उनके जल का उपचार बायोरेमिडिएशन/मॉड्युलर अथवा अन्य उचित तकनीक से कराये जाना सुनिश्चित किया जाये।"

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुपालन हेतु गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले नालों के जल का उपचार समुचित तकनीक के आधार पर करने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को आगणन तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।इस कम में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा गंगा व उसकी 10 सहायक नदियों में मिलने वाले शोधन योग्य अनटैप्ड 428 नालों के बायोरेमिडिएशन/रेन्यू (NEERI) विधि से 05 वर्ष के शोधन हेतु लगभग 1700 करोड़ का डी0पी0आर0 तैयार कराया गया है। इसके फंडिंग की व्यवस्था नमामि गंगे/राज्य सरकार से कराये जाने पर विचार किये जाने के हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए जल निगम द्वारा तैयार किये गये डी0पी0आर0 के धनराशि के वित्त पोषण हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को पत्र भेजने एवं गंगा के किनारे के नालों के जल का स्थायी रूप से शोधन की व्यवस्था हेतु निर्देश दिया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–5.6

राज्य गंगा समिति के नामित 05 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण नए सदस्यों को नामित किये जाने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्रस्ताव भेजना।

भारत सरकार के राजपत्र संख्या 1053 दिनांकित 07.04.2017 में दिए गये प्राविधान के क्रम में जारी राज पत्र संख्या 2458 दिनांकित 07.10.2016 में निम्नलिखित 05 विशेषज्ञों को समति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था :–

1. श्रीमती प्रीति चतुर्वेदी, वैज्ञानिक आई0टी0आर0सी0, लखनऊ।
2. प्रो0 आर0सी0 वैश्य, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, एम0एन0आई0टी0, इलाहाबाद।
3. डा0 बी0डी0 त्रिपाठी, समन्वयक, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रोधौगिकी केन्द्र, बी0एच0यू0, वाराणसी।
4. डा0 सुरेश कुमार रोहिला, वैशाली अपार्टमेन्ट, नई दिल्ली।
5. श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव (गंगा कार्यकर्ता), तिलक नगर, कानपुर।

उपरोक्त नामित सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष अप्रैल 2019 को पूर्ण हो चुका है। अतः नामित सदस्यों का कार्यकाल बढाये जाने या सदस्यों को प्रतिस्थापित किया जाना है।

उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान समिति द्वारा लेते हुए निर्देशित किया गया कि पूर्व से नामित सदस्यों में जो सदस्य अपना योगदान भविष्य में भी देना चाहते हो उन्हें तथा ऐसे सदस्य जो योगदान देने में असमर्थता व्यक्त करें, उनके स्थान पर नये सदस्यों के नाम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को नामित करने हेतु भेजा जाय।

Scanned with OKEN Scanner

ए०बिन्दु-5.7 राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा दिनांक 17.09.2019 से 02.10.2019 तक चलाये जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान को समिति के संज्ञान में लाना।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी पत्र संख्या CO-14/13/2019-Comm.NMCG दिनांकित 10.09.2019 के क्रम में प्रदेश के 16 जिलों के 19 शहरों में स्वच्छता ही सेवा अभियान दिनांक 11.09.2019 से 02.10.2019 आयोजित किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत विभिन्न जागरूकता अभियान के कार्यक्रमों के आयोजन के साथ तथा प्रतिभागियों को टी–शर्ट, बैग, कैप, आदि उपलब्ध कराये गये तथा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन से 15 अधिकारियों को योजना के सफल क्रियान्यवन में सहयोग हेतु नियुक्त किया गया है तथा निम्नानुसार रू0 55,00000.00 की धनराशि नगरों को उपलब्ध करायी गई है।

क्रमांक	नगर का नाम	उपलब्ध करायी गई धनराशि (रू0)
1.	बिजनौर	2,50,000.00
2.	गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)	2,50,000.00
3.	अनूपशहर (बुलन्दशहर)	2,50,000.00
4.	नरौरा (बुलन्दशहर)	2,50,000.00
5.	कानपुर	5,00000.00
6.	उन्नाव	2,50,000.00
7.	बिठूर	2,50,000.00
8.	प्रयागराज	5,00000.00
9.	वाराणसी	5,00000.00
10..	चुनार	2,50,000.00
11.	गाजीपुर	2,50,000.00
12.	मथुरा–वृन्दावन	2,50,000.00
13.	कन्नौज	2,50,000.00
14.	कांशीरामनगर	2,50,000.00
15.	हरदोई	2,50,000.00
16.	बलिया	2,50,000.00
17.	फर्रूखाबाद	2,50,000.00
18.	मेरठ	2,50,000.00
19.	फतेहपुर	2,50,000.00
	योग	55,00000.00

उपरोक्त का संज्ञान समिति द्वारा लिया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0–5.8

Scanned with OKEN Scanner

एजेन्डा बिन्दु सं0—5.8

दिनांक 12 अक्टूबर, 2019 को बिजनौर से प्रारम्भ होकर दिनांक 26.10.2019 तक गाजीपुर (वाराणसी) तक गंगा एक्सपीडीशन कार्यक्रम का आयोजन।

दिनांक 12 अक्टूबर, 2019 को बिजनौर से प्रारम्भ होकर दिनांक 26.10.2019 तक गाजीपुर (वाराणसी) तक विभिन्न स्थलों जैसे कानपुर एवं वाराणसी में अवस्थान करते हुए गंगा एक्सपीडीशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजन के लिए रू0 48.00 लाख निम्नानुसार धन का आवंटन विभिन्न जिला गंगा समितियों को किया गया है।

क्रमांक	जिला गंगा समिति का विवरण	आवंटित धनराशि (रू0 लाख में)
1.	बिजनौर	2.5
2.	गढ़मुक्तेश्वर	2.5
3.	नरौरा	2.5
4.	बदायूँ	2.5
5.	फर्रुखाबाद	2.5
6.	कन्नौज	2.5
7.	कानपुर	6.5
8.	फतेहपुर	2.5
9.	प्रतापगढ़	2.5
10.	प्रयागराज	2.5
11.	मिर्जापुर	2.5
12.	वाराणसी	6.5
13.	गाजीपुर	2.5
	योग	40.5

उपरोक्त के अतिरिक्त गंगा एक्सपीडीशन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए उपरोक्त 13 जिला गंगा समितियों में से कानपुर एवं वाराणसी को रू0 एक–एक लाख तथा शेष 11 जिला गंगा समितियों में से प्रत्येक को रू0 0.50 लाख के दर से कुल रू0 7.5 लाख का आवंटन किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर इस मद में रू0 48.00 लाख का आवंटन जिला गंगा समितियों को किया गया है। उक्त कार्यक्रम को जिला गंगा समितियों के माध्यम से प्रभावी रूप से सम्पादित कराये जाने तथा कार्य–योजना दिनांक 03.10.2019 तक उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 25.09.2019 को प्रेषित किया गया।

उपरोक्त का संज्ञान समिति द्वारा लिया गया।

एजेन्डा बिन्दु सं0—5.9

जिला गंगा समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्यशाला का आयोजन।

Scanned with OKEN Scanner

यद्यपि प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित 26 जिलों में जिला गंगा समिति का गठन हो चुका है, परन्तु समितियों के प्रशिक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में कार्यशालाओं का आयोजन न होने के कारण समितियों का सशक्तिकरण वांछित स्तर पर नहीं हो सका है। जिला गंगा समिति के पदेन सदस्यों जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी/नगर आयुक्त/जिला पंचायत राज अधिकारी व अन्य सदस्यों को इस व्यवस्था के अन्तर्गत समिति से अपेक्षित कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों आदि के बारे में भिज्ञ कराने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। अतः इसके लिए WWF-India के सहयोग कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना है, ताकि समिति के सदस्य पर्याप्त रूप से निर्णय एवं गंगा नदी से संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक उपायों को लागू कराने में सक्षम हो सके।

उपरोक्त का संज्ञान समिति द्वारा लिया गया।

<u>एजेन्डा बिन्दु सं0–5.10</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के सदस्यों से अनुरोध किया गया यदि उनका कोई प्रस्ताव हो तो समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। समिति के सदस्य श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा सुझाव दिया गया कि गंगा नदी के किनारे यदि प्रत्येक 100 कि0मी0 के अन्तराल पर गंगा बोर्ड क्लब की स्थापना की जाय तथा वहाँ गंगा से सम्बन्धित क्रियाकलाप का आयोजन कराया जाय।

अंत को सभी को धन्यवाद देते हुए गंगा व सहायक नदियों से सम्बन्धित कार्यवाहियों को समुचित व प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने तथा स्वच्छता से सम्बन्धित जन जागरूकता हेतु कार्यों को प्रभावी रूप से कराये जाने की अपेक्षा के साथ बैठक समाप्त किया गया।

Manoj 18.10.19

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव, नगर विकास,
सदस्य सचिव, राज्य गंगा समिति/शासी निकाय/
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1	स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2	श्री अशोक कुमार, ई0डी0 (परियोजना), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
3	श्री विकास गोठवाल, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।

Scanned with OKEN Scanner

4	श्री नीरज श्रीवास्तव, सदस्य, राज्य गंगा समिति, 7/81 नारायन द्वीप, तिलक नगर कानपुर।
5	श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, उपाध्यक्ष, उन्नाव विकास प्राधिकरण, उन्नाव।
6	श्री रजत गुप्ता, सी0 सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट विशेषज्ञ, एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली।
7	डा0 आर0सी0 वैश्य, सदस्य राज्य गंगा समिति (प्रो0 एवं हेड डिपार्टमेण्ट आफ सीविल ई0 एम0एन0आई0टी0, प्रयागराज) ।
8	श्री राहुल पाण्डेय, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण।
9	श्री टी0के0 शिबु उपाध्यक्ष, प्र0वि0प्रा0।
10	डा0 हरिश्चन्द्र, विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ।
11	श्री सोवरन सिंह, विशेष सचिव पी0आर0, लखनऊ।
12	डा0 सारिका मोहन,विशेष सचिव सिंचाई, लखनऊ।
13	श्री प्रदीप कुमार, विशेष सचिव एम0एस0एम0ए0, लखनऊ।
14	श्री पवन कुमार, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ।
15	श्री आशीष तिवारी, सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
16	श्री टी0यू0 खान, विशेष कार्याधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
17	श्री पवन कुमार, विशेष सचिव आवास, लखनऊ।
18	श्री गोपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता आई0डी0यू0पी0, लखनऊ।
19	श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा, मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई विभाग मेरठ।
20	श्री विभाष रंजन, मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, लखनऊ।
21	श्री के0पी0 दूबे, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ।
22	श्री अरविन्द गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ।
23	श्री अजेय रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता (गंगा) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
24	श्री दीपक यादव, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ।
25	श्री नीरज कुमार, सी0एफ0 इन्वायरनमेन्ट प्रोजेक्ट, लखनऊ।
26	श्री एन0के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0एस0आई0डी0ए0, लखनऊ।

प्रमुख सचिव, नगर विकास,
सदस्य सचिव, राज्य गंगा समिति/शासी निकाय/
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उत्तर प्रदेश

Scanned with OKEN Scanner